

कार्यशाला दिनांक 04.07.2024 एवं 05.07.2024 ई-मेल

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,  
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 02 जुलाई, 2024

विषय:- विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए आग की रोकथाम, जीवन सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के संबंध में कार्यशाला।

महोदय,

कृपया विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए आग की रोकथाम, जीवन सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के संबंध में कार्यशाला संबंधी प्रमुख सचिव, उपभोक्ता मामले अनुभाग-1 के पत्र संख्या-आई/670084/चौरासी-1-2023-84-1099/47/2022 दिनांक 20.06.2024 एवं उसके साथ संलग्न महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, भारत सरकार के पत्र संख्या-एन.आई.टी.एस./टी.आर.जी./03/2024-25/18, 19, 20 एवं 21 दिनांक 30.05.2024 (अनुलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उ0प्र0 के विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए आग की रोकथाम, जीवन सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा से संबंधित नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 (एन.बी.सी.) और नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया 2023 (एन.ई.सी. 2023) के कोडल प्रावधानों पर अल्पकालिक आवासीय प्रशिक्षण राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा में दिनांक 04.07.2024 एवं 05.07.2024 को आयोजित किया जा रहा है।

2 - इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को समयान्तर्गत निर्देशित करने एवं तदनुसार भारतीय मानक ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

Signed by भवदीय,

Udai Bhanu Tripathi

Date: 02-07-2024 18:29:13

उदय भानु त्रिपाठी  
विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, भारत सरकार, मानक भवन-9, बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002
2. विशेष सचिव, उपभोक्ता मामले अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,  
उदय भानु त्रिपाठी  
विशेष सचिव

2/670084  
संख्या- /चौरासी-1-2023-84-1099/47/2022

पेषक,

आलोक कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, चिकित्सा विभाग, लोक निर्माण विभाग,  
आवास विभाग एवं नगर विकास विभाग,  
उ०प्र० शासन।

उपरोक्त मामले अनुभाग-1

तखतः दिनांक 20 जून, 2024

विषय:- राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान(एन०आई०टी०एस०), तोपडा में भवनों की अग्नि सुरक्षा पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया महातिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो(भारत सरकार) मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-NITS/Trg/03-2024-25/18,19 20 & 21, दिनांक 30 मई, 2024(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उ० प्र० के विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए आग की रोकथाम, जीवन सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा से संबंधित नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016(एन०बी०सी०) और नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया 2023(एन०ई०सी० 2023) के कोडल प्रावधानों पर अल्पकालिक आवासीय प्रशिक्षण अन्तर्गत राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्यों के साथ उ० प्र० के विभागों यथा अग्निशमन सेवाओं, विद्युत निरीक्षणालयों, लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास/नगरपालिका प्रशासन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों को दिये जाने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो(बी०आई०एस०) द्वारा राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान(एन०आई०टी०एस०), तोपडा में दिनांक 04-07-2024 एवं 05-07-2024 को आयोजित किया जा रहा है।

अतः कृपया विषयगत प्रकरण में बी०आई०एस०, भारत सरकार, नई दिल्ली की उपरोक्त अपेक्षानुसार उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने-अपने अधीनस्थ विभागों में कार्यरत पात्र/अर्ह अधिकारियों को नामित करते हुए उसकी सूचना बी०आई०एस०, भारत सरकार, नई दिल्ली को निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by  
(आलोक कुमार)  
Alok Kumar  
प्रमुख सचिव।  
Date: 18-06-2024 12:43:31

1650/57/24

VSC(M)

24.06.24

(डा० बलकार सिंह)

सचिव

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन।

1184/VSC(M)/A/24

SS

आलोक कुमार

विशेष सचिव,

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उ०प्र० शासन।

Handwritten signature and date 20/6/24


Handwritten text: 45/50-3

Handwritten signature and date 24/6/24

संख्या एवं दिनांक तद्वैय।

पत्रिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, 30 प्रो शासन।
- 2- महातिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो (भारत सरकार) मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख एवं वैज्ञानिक ई, लखनऊ शाखा कार्यालय भारतीय मानक ब्यूरो, गोमती नगर, लखनऊ।
- 4- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

  
आज्ञा से,  
(अभिषेक गोयल)  
विशेष सचिव।

No. 16301/MS/GI/2024 श. - मा. 20-12/24-1-2024

email copy already sent  
Speed Post

प्रमोद कुमार तिवारी, आई ए एस  
PRAMOD KUMAR TIWARI, IAS  
महानिदेशक  
Director General  
दूरभाष/Phone : + 91-11-2323 7991, 2323 6980  
ई-मेल/E-mail : dg@bis.gov.in  
वेबसाइट/Website : http://www.bis.gov.in



भारतीय मानक ब्यूरो  
(भारत सरकार)  
मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग,  
नई दिल्ली - 110 002  
Bureau of Indian Standards  
(Government of India)  
Manek Bhawan, 9, Behadur Shah Zafar Marg,  
New Delhi - 110 002

Our Ref: NITS/Trg/03/2024-25/18, 19, 20 & 21

30 May 2024 Ref

Subject: Two-day Workshop on Fire Safety in Buildings for Senior State Government Officers at National Institute of Training, for Standardization (NITS)

उपरोक्त विषय पर (BIS)

Dear Sir,

Handwritten signature

Fire Safety is an important aspect of a safe building. The National Building Code of India 2016 (NBC 2016) and the National Electrical Code of India 2023 (NEC 2023) have laid down detailed norms in regard to fire prevention, life safety and fire protection for various building occupancy types, such as residential buildings, hospitals, educational institutions assembly buildings, etc. The NBC also contains provisions for the installation and periodic maintenance of the fire-fighting systems. The NEC deals extensively with the planning and design of electrical installations quality of electrical equipment, fittings and appliances, correct methods of installation, testing, commissioning and maintenance of electrical installations and the measures to ensure protection against incidents like electrical short-circuit.

2. Bureau of Indian Standards (BIS) has been making efforts to educate the Central and State Government officials on the provisions of NBC and NEC by conducting short-term residential training programmes on the Codal Provisions relating to fire safety of buildings. It has been decided, however, to organise a two-day residential workshop for the senior most officers of Fire Services, Electrical Inspectorates, Public Works Department and Urban Development/Municipal Administration Department of the States and the Union Territories at National Institute of Training for Standardization (NITS), Noida on the dates given below:

07.06.2024 (राजा राम मिश्रा) निजी सचिव प्रमुख सचिव	18-19 June 2024	Gujarat, Maharashtra, Goa, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands
07.06.2024 उपनिदेशक	10-11 July 2024	Govt. of NCT of Delhi, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chandigarh, Chhattisgarh.
10/6/24 U.S. (K)	11-12 July 2024	Bihar, West Bengal, Jharkhand, Orissa, Assam, Sikkim, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura

(अतिरिक्त सचिव)  
विशेष सचिव  
खाद्य एवं रसद विभाग,  
उपप्रो शासन।

10.06.24  
Handwritten signature and date

U.S. (CA)  
10.6.2024  
Handwritten notes and date

contd.  
50-1  
10/6/2024

3. It is emphasized that only senior most officers of the departments should be deputed to the workshop and they can be accompanied by one more senior officer from the department. This will facilitate the discussion on the issues concerning policy making and planning, inter-agency coordination and institutional mechanisms for effective implementation of the provisions of the NBC and NEC. Other officers can attend the short-term courses at NITS, and training for them can also be organized at the State Govt. level, if the State Government so desires.

4. There is no registration/participation fee for attending the workshop. The participants are, however, expected to bear their travel cost. Accommodation may be availed at NITS hostel on the first come, first served basis. For more details, the following official may be contacted:

Smt. Madhurima Madhav  
Scientist D/Joint Director  
National Institute of Training for Standardisation  
A-20 & 21, Sector 62, Noida 201 301  
Mobile: +91 9560886417; Email: [nits@bis.gov.in](mailto:nits@bis.gov.in)

5. I am also pleased to enclose a copy of our Training Calendar 2024-25, which is available at the Training Portal of BIS (<https://www.bis.gov.in/training-2/training-calendar/>).

*With regards,*

Yours sincerely



(Pramod Kumar Tiwari)

Shri Durga Shankar Mishra  
Chief Secretary  
Govt of Uttar Pradesh  
101, 'B' Block, Lok Bhawan  
U. P. Secretariat  
Lucknow 226 001